

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-63/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
यूको बैंक शाखा पावटा बी रोड़, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अभिलाष टण्डन		• गोमती देवी लोहिया पत्नी खीयाराम लोहिया प्लॉट नम्बर 904/16, खसरा नम्बर 2, ग्राम वासनी तम्बोलिया, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-12.03.2026

1-चन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण गोमती देवी लोहिया पत्नी खीयाराम लोहिया व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 48,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण गोमती देवी लोहिया पत्नी खीयाराम लोहिया की जायदाद प्लॉट नम्बर 904/16, खसरा नम्बर 2, माता का थान के पास, ग्राम वासनी तम्बोलिया, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज एवं Hypothecated all kind of stock and book debts & related items whatsoever stored in premise warehouse /Godowns को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये। नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि का भुगतान दिनांक



RajKaj Ref No.:
20996056



1

Signature valid

Digitally signed by Geetav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.03.12 16:01:32 IST
Reason: Approved

28.02.2025 तक 29,42,641.74 /- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 48,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 28.02.2025 तक 29,42,641.74 /- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। इसी दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थी इस प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं तथा प्रकरण को विद्धो करना चाहता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रकरण विद्धो का निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण जरिये विद्धो निस्तारित किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।



आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

दिनांक

जोधपुर (राज.)

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.03.12 16:01:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20996056